न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 88/2020

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 11/11/2020

निर्णय दिनांक : 01/03/2021

किशनलाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

—— प्रार्थी

बनाम

1. जगनाथ पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. दाखां पत्नि पांचू जाति बैरवा निवासी सेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
3. सजनी पत्नि रामकरण जाति जाट निवासी सेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
4. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड सेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
5. रूकमा पुत्री रामकरण जाति जाट निवासी सेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
6. बैधनाथ पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
7. प्रेम पुत्री करूणानन्द जाति जाट निवासी सेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
8. रसाल कंवर पत्नि करूणानन्द जाति जाट निवासी सेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
9. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
10. उपपंजीयक उपंजीयक कार्यालय मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
11. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

12. कैलाश जाट पुत्र श्री बद्रीनारायण जाट, जाति जाट, निवासी किशनपुरा, पोस्ट तितरिया तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राज0।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – *श्री विनोद कुमार जैन*
श्री नानूराम धाभाई
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

श्री मुकेश चौधरी
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 12

अप्रार्थी संख्या 9 फोरमल पक्षकार है एंव
अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 01/03/2021

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजीयात जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 169 के आराजी खसरा नम्बर 887 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर व खाता संख्या 562 के आराजी खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.7900 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.7900 हैक्टेयर, खाता संख्या 558 के आराजी खसरा नम्बर 17 रकबा 1.7700 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.7700 हैक्टेयर खाता संख्या 560 के आराजी खसरा नम्बर 1265 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1278 रकबा 0.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 2.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 889 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 890 रकबा 0.2400 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 4.3400 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 में स्थित है उक्त भूमि के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मुताबिक जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजीयात का विधिवत तकासमा नही हो रखा है मौके पर उक्त विवादित आराजीयात के प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 अपने अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा कर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी में खाद बीज डालकर, मेर लगाकर काफी उन्नत एवं उपजाउ बनाकर विवादित आराजी से

प्राप्त उपज से अपना व अपने परिवार का जीवनयापन कर रहे है। प्रार्थी ने उक्त आराजीयात में अपने हिस्से की आराजी को काफी वर्षो से बाहजोत करता चला आ रहा है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 आये दिन प्रार्थी की मेर कोर को लेकर विवाद रखते है तथा जबरन प्रार्थी के हिस्से की आराजीयात में कब्जा काश्त कर फसल को नुकसान कर प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल करना चाहते है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है चुकिं प्रार्थी उक्त विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, अतएवं बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के सिद्वान्त अनुसार विधिवत तकासमा करवाने का अधिकारी है तथा अप्रार्थीगण के कृत्य की ऐवज में जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। दिनांक 06/11/2020 को अप्रार्थी संख्या 7 व 8 दीगर अजनबी व्यक्तियों को विवादित आराजीयात पर लेकर आये और विवादित आराजीयात को दिखा रहे थे तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को इसका कारण पुछा तो अप्रार्थी संख्या 7 व 8 ने प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त आराजी हमारे नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन उक्त आराजीयात पर हमारा कब्जा नही होने से एवं हमारे हिस्से की सम्पूर्ण विवादित आराजीयात पर हमारे दत्तक पुत्र/भाई वैधनाथ का ही कब्जा है लेकिन बैधनाथ के कब्जे वाली भूमि उपजाउ नही है इसलिए तेरे हिस्से वाली जमीन का हम दीगर व्यक्तियों को बिना तकासमा ही विक्रय कर तुम्हे कब्जे से बेदखल करेंगे ऐसी स्थिति में प्रार्थी को आवश्यक हुआ कि वह माननीय न्यायालय के समक्ष पक्षकारान का विधिक रूप से बाई मीट्स एण्ड बोण्डस के सिद्वान्त अनुसार विभाजन कराया जाकर लगान की फेटबदी अलहदा अलहदा फरमाई जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के लिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजिमी हुआ है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थना–पत्र के वर्णित मद नम्बर 2 की आराजीयात में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न स्वंय करें, न अन्य से करावें न विवादित आराजीयात से बेदखल करे, न आराजी का बिना तकासमा किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल, विकयादि करे, न हस्तांतरण करे, न विवादित भूमि को किसी को ट्रांसफर करे, तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। इस हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे।"

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 08/12/2020 को श्री मुकेश बाना एडवोकेट ने प्रार्थी कैलाश जाट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0 दी0 पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जिस पर बहस सुनी जाकर न्यायहित में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 12 की बहस मूल प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 12 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 खाता संख्या 169, 562, 558, 560 कुल किता 04, अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा प्रस्तुत जवाब का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

<u>प्रथम दृष्ट्या केस</u>– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में जमाबन्दी पेश की गयी है, उसके अनुसार खाता संख्या 169, 562, 558, 560 के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ल. 8 व 12 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और विवादित आराजीयात पक्षकारान की कानूनी रूप से अविभाजित आराजीयात हैं, प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की आराजीयात की मेर कोर को लेकर विवाद रखते हैं। इसलिये अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें, इसके खण्डन में अप्रार्थीगण संख्या 12 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि वह विवादित आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स अनुसार तकासमा करवाने हेतु तैयार है इसलिये प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से पक्षकारान के मध्य विवाद मात्र आराजीयात के कानूनी रूप से विभाजन को लेकर प्रतीत होता हैं चूंकि विभाजन के प्रश्न का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर हो सकेगा। विवादित आराजीयात का प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थीगण भी

रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, चूंकि अप्रार्थीगण भी विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है इसलिये अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नही होता हैं इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता हैं।

<u>सुविधा का सन्तुलन</u> – यह कि चूंकि पक्षकारान विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिये एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दुसरे रिकार्डेड सहखातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करवा सकता हैं। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से पक्षकारान के मध्य विवाद मात्र् विवादित आराजीयात का कानूनी रूप से विभाजन नही होना प्रतीत होता हैं चूंकि विभाजन के प्रश्न का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर हो सकेगा, इसलिये वर्तमान स्थिति यदि अप्रार्थीगण जो कि स्वंय विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार भी है, को पाबन्द किया जाता है, तो उन्हें अपूर्तनीय क्षति कारित होगी एवं प्रकरण में भी बेवजह पेचीदगीयां बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

<u>अपूर्तनीय क्षति</u> – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाये जाते है, ऐसी स्थिति में अपूर्तनीय क्षति भी अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना पायी जाती हैं।

इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है, जिसको अप्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खाता संख्या 169 के आराजी खसरा नम्बर 887 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर व खाता संख्या 562 के आराजी खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.7900 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.7900 हैक्टेयर, खाता संख्या 558 के आराजी खसरा नम्बर 17 रकबा 1.7700 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.7700 हैक्टेयर खाता संख्या 560 के आराजी खसरा नम्बर 1265 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1278 रकबा 0.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 2.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 889 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 890 रकबा 0.2400 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 4.3400 हैक्टेयर

भूमि वाके ग्राम सेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 के बाबत खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 01/03/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)